



प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उओप्रओ, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-16 अक्टूबर, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र सं0-341/प.-2/17(23)/2026-27, दिनांक-29.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़ हापुड पर चेन लिंक बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-106-अन्य पशुधन विकास-03-प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0-264.33 लाख (रूपये दो करोड़ चौंसठ लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकतानुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
- (3) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उओप्रओ बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये अपितु आवश्यकतानुसार किया जाय। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट्यों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
 - (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
 - (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र० का होगा।
 - (12) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
 - (13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
 - (14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,64,33,000 (रुपये दो करोड़ चौंसठ लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 4403001060300** प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-167-X-2026-27, दिनांक-14.10.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

पु०सं०-215/2026/2427(1)/सैंतीस-2-2026/002-1(3)/2019-1521125, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/नियोजन अनु०-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।